भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.02.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 95 का उत्तर

जीआरपी में वृद्धि

95. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने देश में राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो की जा रही कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार/स्वीकृति दी जाएगी?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): राजकीय रेल पुलिस राज्य पुलिस का अंग है जो संबंधित राज्य के नियंत्रण में कार्य करती है। राजकीय रेल पुलिस में पदों के सृजन संबंधी दिशा-निदेश में प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने संबंधित वित्त से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महाप्रबंधक स्वीकृति हेतु अपने संबद्ध वित्त के परामर्श से इन प्रस्तावों की जांच करेंगे और यदि व्यवहार्य पाया जाता है तो इसे रेल मंत्रालय के अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया जाता है।

इस प्रकार, जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन और राजकीय रेल पुलिस के संवर्धन हेतु प्रस्ताव शुरू करना संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है और प्रचलित प्रावधानों के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ): कर्नाटक के 725 और 82 राजकीय रेल पुलिस पदों के दो प्रस्तावों को स्पष्टीकरण हेतु पुनः वापिस भेजा गया है। जबकि 49 और 63 पदों के अन्य दो प्रस्तावों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लागू मितव्ययिता उपायों के कारण अभी अनुमोदित किया जाना है।

*****

S.K